न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

श्री महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 14/2007

1. मोमनसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
1/1 रतनसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
1/2 पाबूदानसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
1/3 पूर्णसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
1/4 राजूसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांटस

बनाम

1. इन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
2. चैनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
3. लिछमणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।

—मुख्य रेस्पोडेंट्स

4. धन्नेसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
5. लखुसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
6. रिछपालसिंह पुत्र प्रहलाद जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
7. विक्रमसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
8. गंगादेवी पत्नी उगमसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
9. मंगेज पुत्रो गणपतसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।

10 .अमरसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
11 .भोपालसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ जिला चूरू।
12 .होषियारसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
13 .महावीरसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
14 .सुमेरकंवर बेवा मूलसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
15 .बनवारी पुत्र गुगनराम जाति जाट नि0 कमाण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
16 .बलवीर पुत्र गुगनराम जाति जाट नि0 कमाण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
17 .रामकुमार पुत्र गुगनराम जाति जाट नि0 कमाण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
18 .राजपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट नि0 कमाण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
19 .उगम कंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
20 .बिरजूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
21 .किषोरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
22 .रोहिताषसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
23 .कृष्णसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
24 .बजरंगसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
25 .सिरेकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
26 .किरण पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ जिला चूरू।
27 .राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, राजगढ़।
28 .सोनादेवी बेवा मोमनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू।
29 .बायला पुत्री मोमनसिंह जाति राजपूत नि0 बीराण त0 राजगढ़ जिला चूरू —रेस्पोडेंटस

उपस्थित

1. श्री ऋषिराजसिंह, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्रो राजेन्द्रसिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ का निर्णय दिनांक 6.2.2007 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा–225 आर0टी0ए0, 1955

निर्णय दिनांकः–25.06.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 100 मीन तादादी 3 बीघा 6 बिस्वा रकबा खसरा नम्बर 104 का होना बताते हुए अपीलांट/वादी के ख0न0 100 मीन तादादी 3 बीघा 6 बिस्वा खातेदारी में से कम करके ख0न0104 रोही बिराण में यह रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा जोडकर सहायक कलक्टर राजगढ द्वारा डिक्री जारी कर दी गई जिसके विरूद्व एक प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर राजगढ के यहां आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रस्तुत की गई जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को साक्ष्य व सबुत के अवसर दिये बगैर खारिज कर दी गई जिसके विरूद्व यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपीलांट अभिभाषक ने अपने अपील मिमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0/प्रतिवादीगण 1 से 3 ने एक न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ़ के समक्ष एक घोषणात्मक वाद डिक्री प्राप्त करने हेतु इस आशय का दिया था कि कृषि भूमि ख0नं0 100 मिन क्षेत्रफल 3 बीघा 6 बिस्वा रोही बिराण त0 राजगढ की खातेदारी उनके नाम घोषित की जाकर अपीलांट का नाम हटाया जावे एवं ख0नं0 95, 104,100 मिन, ख0नं0 101 मिन कुल 23 बीघा 2 बिस्वा रोहो बीराण त0 राजगढ़ के खातेदार घोषित किया जावे। इस पर कृषि भूमि ख0नं0 100 मिन क्षेत्रफल 3 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी भूमि ख0न0 104 का रकबा मानते हुए रेस्पो0/प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 के ख0न0 104 में जोडते हुए एकपक्षीय दावा डिक्री कर दिया गया। इस पर अपीलाट/वादी ने एकपक्षीय पारित डिक्री को निरस्त करने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र मातहत अदालत में पेश किया जो निरस्त कर दिया गया। अपीलांट/वादी पर किसी भी तरह की तामील नहीं हुई है। परन्तु गलत रूप से तामील मानी जाकर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है। समन पर तामील कुनिन्दा के

हस्ताक्षर नहीं है। दावा में अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं मिला। वादगत भूमि अपीलांट के पिता बचनसिंह की खातेदारी की रही है व अब अपीलांट के नाम से खातेदारी की है। अपीलांट के वकील दिनांक 6.2.07 को बिना सूचना के अदालत में उपस्थित नहों हुए जिसकी वजह से अपीलांट का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत को मैरिट के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलांट को उक्त आदेश की दिनांक 23.6.07 को जानकारी हुई। मियाद अधिनियम धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय षपथपत्र भी पेश है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत सहायक कलक्टर, राजगढ़ का निर्णय दिनांक 6.2.07 एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 20.8.04 निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

3. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलांट पक्ष के अभिभाषके के तथ्यो को नकारते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि गत ख0न0 23,70,71,123 व 144 जो पूर्वज गणेश सिंह के चार लडको अमरसिंह,गणपतसिंह,बजरंगसिंह व रूपसिह के 1/4,1/4 हिस्से में रही । राजस्व रेकार्ड में गणपतसिंह के वारिसान के 42 बीघा 19 बिस्वा व बच्चनसिंह क वारिसान के 48 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है । भाई बटंवार में अमरसिंह व रूपसिह के वारिसान का कोई विवाद नही था । गत ख0न0 71 के वर्तमान पैमाईश में ख0न0 100,104,95 बने गत ख0न0 71 में रेस्पो0/प्रतिवादीगण 1 ता 4 के हिससे में 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि आइ थी लेकिन हाल पेमाईश मे रेस्पा0/प्रतिवादीगण के हिस्से में 30 बीघा 4 बिस्वा दर्ज हो गई जो पूर्व रकबे से 3 बीघा 6 बिस्वा अधिक दर्ज हो गई जिसे सहायक कलक्टर राजगढ द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.04 के द्वारा ख0न0 100 मीन में अधिक दर्ज भूमि 3 बीघा 6 बिस्वा रकबे को ख0न0 104 का मानते हुए दर्ज करवाने के आदेष देते हुए निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई । जिसके विरूद्व अपीलांट/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेष 9 नियम 13 की प्रस्तुत की जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.07 को खारिज कर दिया गया व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, राजगढ़ का निर्णय दिनांक 06.02.07 बहाल रखा जावे।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित आदेश 9 नियम 4 सीपीसी

दिनांक 07.01.2005 को पश किया गया पत्रावली अप्रार्थीगण को तलब करने हेतु दिनांक 18.01.2005 को रखी गयी । दिनांक 18.01.05 को रेस्पो0/प्रतिवादी 1 से 3 व 9 ता 11 का वकालत नामा व अन्डरटेकिंग पेश हुई तथा अप्रार्थी सं0 4 जगूसिंह की तामील मानते हुए इसके विरूद्व एक पक्षीय आदेष पारित किय गये व पत्रावली 13.03.05 को पेश होने हेतु आदेशित की गयी । दिनांक 29.06.05 को अप्रार्थी सं0 4 व 5,13,14 16 ता 19 के नोटिस पर कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार नोटिस तामिल करने से इन्कार व आबाद मकान पर चस्पान्दगी करवायी गयी व इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी ओर दिनांक 06.02.17 को प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गयी । इस तरह से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र आदेष 9 नियम 13 को बिना किसी दस्तावेजी व कानूनी साक्ष्य के एकपक्षीय कार्यवाही कर खारिज कर दिया गया जो कानूनी दृष्टी से उचित प्रतीत नही होता है । अधिनस्थ न्यायालय को यहां यह सुनिष्चित करना चाहिये था कि सभी पक्षकारों को साक्ष्य सबुत पेश करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिये था ना की तकनीकी आधार पर ।

5. उपरोक्त विवेचन व विश्लेशन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, राजगढ का निर्णय दिनांक 6.2.2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड(प्रतिप्रेषित) कर निर्देष दिये जाते है कि वो सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 पर अपना निर्णय तीन माह में पारित करें । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तरतीब तकमील के दफ्तर दाखिल हो ।
6. निर्णय आज दिनांक 25.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर